राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या–अपील/सीलिंग/6463/2006/ बून्दी

1. श्री महेन्द्रसिंह पुत्र करणसिंह जाति राजपूत निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी मृतक जरिये विधिक वारिसान–
1/1. धर्मराज सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह
1/2. आनन्दसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह
1/3. रोतास कुमारी पुत्री महेन्द्रसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी

अपीलार्थीगण/–

बनाम

1. राजस्थान सरकार
2. सत्यनारायण
3. परमानन्द
4. कृपाशंकर पुत्रगण बद्रीलाल जाति महाजन खण्डेलवाल निवासी बोडखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी

प्रत्यर्थीगण/–

एकलपीठ
श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित–

श्री शशिकान्त जोशी, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री बिजेन्द्र चौधरी, अति0 राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–1
श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–2 से 4

निर्णय

दिनांक 06.0602018

यह अपील धारा 23(2) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–9–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी बून्दी ने अपने निर्णय दिनांक 8–2–1971 के द्वारा महेन्द्र सिंह भूमिधारी (एसेसी) की सीलिंग सीमा का निर्धारण करते हुये एसेसी महेन्द्र सिंह एवं उनके दो पुत्र धर्मराज सिंह व आनन्द सिंह प्रत्येक को एक एक यूनिट भूमि धारण करने का अधिकारी मानते हुये निर्णय पारित किया, जिसके विरूद्ध

उज्रदारों ने राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 2-6-75 को खारिज की गई।

3. तत्पश्चात जिला कलेक्टर बून्दी के माध्यम से राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया कि उपखण्ड अधिकारी बून्दी ने अपने निर्णय में भूमिधारी के पुत्र आनन्द सिंह व धर्मराज सिंह को किये गये बंटवारे को मान्यता दी जो धारा 30डी व 30 डीडी के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है और राज्य हित के प्रतिकूल है। राज्य सरकार ने उक्त प्रकरण को धारा 15(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 21-2-1980 को री-ओपन कर भूमिधारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर सभी बिन्दुओं की जांच कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अतिरिक्त कलेक्टर बून्दी कों प्रेषित किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 11-9-2006 के द्वारा एसेसी महेन्द्र सिंह को 30 स्टे. एकड भूमि धारण करने का अधिकारी मानते हुये शेष भूमि अधिग्रहण करने के आदेश पारित किये। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि भूमिधारी के दोनों पुत्र विवादित आराजी के पुश्तैनी होने से जन्म से ही हिस्सेदार होकर अपने हिस्से की 30-30 स्टे.एकड भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है। उनका कथन है कि भूमिधारी के पुत्र भूमिधारी पर आश्रित नहीं थे, उनके द्वारा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत भूमिधारी के विरूद्ध वाद उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें उपखण्ड अधिकारी ने बंटवारे की डिक्री पारित की थी, जिसकी पालना में तहसीलदार केशोरायपाटन ने नामान्तरकरण संख्या 23 दिनांक 10-12-1970 को अपीलार्थीगण संख्या 1 व 2 में पक्ष में स्वीकृत किया। उक्त नामान्तरकरण के आधार पर अपीलार्थी धर्मराज के खाते में 70बीघा 07बिस्वा एवं अपीलार्थी आनन्दसिंह के खाते में 70बीघा 14बिस्वा भूमि कब्जे काश्त में चली आ रही है, उक्त आराजी किसीभी रूप से भूमिधारी की आराजी में क्लबिंग नहीं की जा सकती थी। एसेसी महेन्द्रसिंह ने घोषणा पत्र में यह कही भी नहीं लिखा कि दोनों पुत्र मुझ पर आश्रित है। दोनों पुत्रों का अलग-अलग हिस्सा होने से वे अलग अपील यूनिट प्राप्त करने के अधिकारी है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि की गणना सही प्रकार से नहीं की। सीलिंग कानून के अनुसार निर्धारित दिनांक 1-4-1966 को जमाबन्दी में जो किस्म दर्ज होगी, उसके अनुसार ही भूमि की गणना की जावेगी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2021 से 2024 को आधार माने हुए तथा भूमि को सिंचित मानते हुए स्टे0 एकड बनाये

गये है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत है। उनका कथन है कि परिशिष्ट –अ में बैचान की गयी भूमि का उल्लेख है, जो क्रेताओं की खातेदारी में दर्ज है, जिसे एसेसी की खातेदारी से कम की जाकर भूमि की गणना की जानी चाहिए थी। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर सीलिंग कार्यवाही को समाप्त किया जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में 1981 आरआरडी पेज 512, 1984 एआईआर एससी पेज 1235, 2000 आरआरडी पेज 427, 2006 आरआरडी पेज 20, 1992 आरआरडी पेज 107 एवं पेज 157, 1994 आरआरडी पवेज 222 एवं 440, 1986 आरआरडी पेज 460, 1990 आरआरडी पेज 430, 2001 आरआरडी पेज 357, 1998 आरआरडी पेज 233 एवं पेज 140, 1997 आरआरडी पेज 501 एवं 1989 आरआरडी पेज 127 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

5. योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रिओपन आदेश की पालना में नियमानुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तत्पश्चात् बाद सुनवाई विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि उपखण्ड अधिकारी ने अपने पूर्व निर्णय में भूमिधारी के पुत्रों को किये गये बंटवारे को मान्यता दी, जो धारा 30 डी व 30डीडी के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। उनका कथन है कि भूमिधारी द्वारा किया गया बैचान सद्भावी हस्तान्तरण नहीं होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि की गणना सही प्रकार की से गयी है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसी तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण संख्या–2 से 4 ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके पक्षकार के पूर्वज तत्कालीन जागीरदार के काश्तकार थे, जो आराजी खसरा नम्बर 757 रकबा 47बीघा 09बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1041 एवं 1044 पर प्रारम्भ से ही काश्त करते आ रहे थे एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर वर्तमान अधिनियम के तहत राज्य सरकार के खातेदार हो गये। जागीर पुनःग्रहण के पूर्व जागीरदार को लगान अदा करते आ रहे थे अब राजस्थान सरकार को लगान अदा करते आ रहे है। उनका कथन है कि वक्त बन्दोबस्त उनके पक्षकार उक्त विवादित आराजी पर बहैसियत खातेदार हो गये, जिसका बन्दोबस्ती पर्चा नियमानुसार बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा दिनांक 24–9–1963 को जारी किया गया, जिसके आधार पर उनके पक्षकार उक्त

आराजी के राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आराजी को सीलिंग कार्यवाही में सम्मिलित कर विधिक त्रुटि कारित की है।

7. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, पारित निर्णय एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया तथा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया।

8. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार, बून्दी (पैरोकार) की ओर से दिनांक 27-06-2006 को लिखित बहस अतिरिक्त कलक्टर (सीलिंग) बून्दी के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जिसके साथ नामान्तरकरण संख्या 138 दिनांक 08-07-1955 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी, जिसमें लिखा है कि गांव बडा खेडा जागीर में था। अब जागीर खालसा हो चुकी है। अगस्त 1954 में जागीर खालसा हो चुकी है। 1347.05बीघा भूमि महाराजा करणसिंह पुत्र जसवन्तसिंह की खुदकाश्त भूमि अंकित है। अपीलार्थी महेन्द्रसिंह (मृतक) के पुत्र द्वारा न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (सीलिंग) बून्दी के समक्ष दिनांक 03-06-2006 को ग्राम बडा खेडा जागीर का सम्वत् 1991 (वर्ष 1935ई.) का महकमा बन्दोबस्त, बून्दी स्टेट का खसरा माल तस्दीक की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी। इस दस्तावेज में अंकित खसरा नम्बर व रकबा जो ठिकानेदार महाराजा करणसिंह के नाम दर्ज है, वे ही (अधिकाशतः) खसरा नम्बर जागीर खालसा होने के पश्चात् सम्वत् 2015-18 की जमाबन्दी में श्री महेन्द्रसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि विवादित भूमि पैत्रिक नहीं है। केवल साबिक खसरा नम्बर 254, 255, 256, 729 व 736 की 117बीघा 02बिस्वा भूमि जरिये रजिस्ट्री दिनांक 24-10-1958 से क्रय की जाकर नामान्तरकरण संख्या 382 दिनांक 06-12-1959 को स्वीकृत है, स्वअर्जित मानी जा सकती है। अन्य कोई साक्ष्य स्वअर्जित भूमि बाबत् पत्रावली में नहीं है।

9. प्रस्तुत प्रकरण में निहित वादग्रस्त भूमि महेन्द्र सिह के पिता करण सिंह की जागीरी में थी व खुदकाश्त थी तथा यह भूमि करण सिंह जी से उनके पुत्रों पृथ्वी राज सिंह व एसेसी महेन्द्र सिहं को मिली है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी महेन्द्र सिंह के पुत्र श्री धर्मराज सिंह व आनन्द सिंह को अपने पितामह श्री करण सिंह जी से मिली है। इस प्रकार भूमि पैतृक होने से दोनों पुत्रों का उक्त भूमि में बराबर हिस्सा है एवं वह अपने हिस्से में आने वाली भूमि पर काबिज हैं और अपने हिस्से की पृथक पृथक इकाई अर्थात 30-30स्टे. एकड भूमि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जैसा कि निम्न न्यायिक दृष्टान्तों में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है-

RRD 1981 Page 512

Raj.Tenancy Act Secs. 40,53-Devolution of tenancies- Right of son by birth in ancestral land during life time of father -held that hindu sons have

right by birth in ancestral holding in hands of father even during life time and can claim partition- 1978rrd 3759(HC)

AIR 1984 S.C.Page 1235

Hindu succession act s.6, explanation -devolution of coparcenery property- hindu person dying leaving behind him three sons,three daughoters and a widow- determination of share of each in coparcenery property.

RRD 2000 page427(HC)

Raj. Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973Section 15(2)-Raj. Tenancy Act, Section 30B-Assessee had given the land to his four sons in equal shares vide settlement dt. 19-5-1955(ie bedfore appointed date 1-4-66)-held, said settlement deed make his sons independent- after settlement dt.19-5-1955, sons of assessee could not be dependent on him nor the land settled with them could be held to be in hands of assessee as on appopinted date lie 1-4-66- said sons are not entitled to be included in family of the assessee as on 1-4-66 and as such could not claim share in the land in his share as on 1-466.

10. उक्त उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों के अनुसार हिन्दू कानून में पुत्र के जन्म लेते ही विवादित आराजी में अधिकार उत्पन्न हो जाते है, अतः एसेसी द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र में अंकित नाबालिग दोनों पुत्रों को पैत्रिक कुल कृषि भूमि 377.09-117.02 बराबर 260बीघा 07बिस्वा में पृथक पृथक इकाई मानते हुए गणना की जानी चाहिए। जहां तक पिता के जीवनकाल में विभाजन का प्रश्न है, पिता के जीवनकाल में पुत्र विभाजन का अधिकारी नहीं है। अतः विभाजन को मान्यता नहीं दी जा सकती।

11. यहां पर प्रश्न वयस्क या अवयस्क पुत्र बाबत नहीं है। अगर पुत्र पिता पर निर्भर है तो पिता के साथ जोडा जायेगा और यदि पुत्र आर्थिक दृष्टि से जमीन की आय जो उसके हिस्से में आती है, उस पर निर्भर हो तो उसे अलग यूनिट प्राप्त करने का अधिकारी माना जावेगा। यह तथ्य सिद्ध है कि निर्धारित दिनांक 1-4-66 को धर्मराज सिंह व आनन्द सिंह पैदा हो गये थे जिसके प्रमाण स्वरूप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जन्म प्रमाण पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। इसके अलावा दिनांक 10-9-68 को हल्का पटवारी ने सत्यापन कर रखा है कि परिवार में दो बडे व दो छोटे बच्चे धर्मराज सिंह व आनन्द सिंह हैं तथा पिता की स्वयं अन्य कोई कार्य से आय नहीं थी। दोनों पुत्रों धर्मराज सिंह व आनन्द सिंह प्रत्येक के हिस्से में सौ बीघा से अधिक भूमि आती है जो उनके व उनके परिवार के भरण पोषण के लिये पर्याप्त थी तथा धर्मराज सिंह व आनन्द सिंह उक्त भूमि की आय पर ही निर्भर थे, जिसका खण्डन राज्य पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस कारण प्रत्येक अलग अलग यूनिट की भूमि रखने के अधिकारी हैं। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि एसेसी महेन्द्र सिंह ने घोषणा पत्र में यह कही भी नही लिखा है कि दोनों पुत्र मुझ पर आश्रित हैं।

दोनों पुत्रों का अलग अलग हिस्सा होने से वे अलग अलग यूनिट प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जैसा कि निम्न न्यायिक दृष्टान्तों में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है–

RRD 1992 page 107,157

Rajasthan Tenancy Act-Chapter IIIB(Old Ceiling Law)Section 30B-In matters of Jagirdari, it is presumed that the property is ancestral and all the coparcenrs in the family have a right from birth in the property-In ancestral property , the sons get a right by birth and it is necessary that there notional shares in the property should be assessed and calculated before any decision regarding the calculation for the purpose of ceiling law is made. (Para4)

Rajasthan Tenancy Act- Chapter III B(Old ceiling Law, Section 30B(a)- When property is ancestral and the son is entitled to a notional share, the son and his family lclannot be treated as members of the family of the assessee.

RRD 1994page 440

Rajasthan Tenancy Act. Chapter III B(Old Ceiling Law) Section 30B& Family- A son of a Hindu assessee whose share in the ancestral property in the hand of the assessee is sufficient for his seprate maintenance , can not be treated as a member of the assessee family and his share cannot be clubbed with that of the assessee for determining the ceiling area.

RRD 2001 page357(HC)

Raj. Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act 1973, Section 15(2)-Raj. Tenancy Act, Section 30-B(a),30-C&30DD- Determination of ceiling limit - Relevant factors for consideration-In the instant case the Authority(Addl. Collector) erred in not arriving at finding on question as to whether land was ancestral property, whether coparceners were entitled for any share in the land which was in the hands petitioners, whether minor son was dependent on petitioners and whether land belonging to coparceners can be clubbed for the purpose of deciding ceiling matter of petitioners- Land belonging to coparceners wrongly been clubbed while determining ceiling limit-Ordler of Authority (Addl. Collector) and appellate orders set aside-Matter remanded to Addl. Collector for deciding afresh-1988(2)RLR 595 foll.

RRD 1998 page 233,140,

Rajasthan Imposition of Ceiling on Agrl. Holdings Act, 1973, Section 15(1)&(2)-a Cases re opened by State Govt. and authhorised Addl. Collector to decide-Proceedings initated and 77 bighas 2 biswas land acquired-Appeals- Held land in dispute is ancestral with number of family members five in all including father assessee and 4 minor children - In view of Sec.30-B(a) of Old Ceiling Law, 4 minor sons are coparceners in ancestral land and are entitled to equal share with the assessee, i.e. 1/5 share

each- Dependency of children will be looked into with the economic position and not from the minority- Though children are minors but financially hold their own right to support themselves and cannopt be said to be dependent on assessee- Order of Addl. Collector not held in consonance with provisions of Old Ceiling Law.hence set aside- Since assessee held, on 1-4-66 one fifth share i.e. 30bighas 18 biswas of land , nothing remained to be acquired.

12. प्रस्तुत प्रकरण में भूमि की किस्म एवं उत्पादन, निर्धारित तिथि 01-04-1966 को जमाबन्दी एवं खसरा गिरदावरी में किये गये अंकन अनुसार ही गणना योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम बडाखेडा चम्बल कमाण्ड क्षेत्र की तहसील सूचि में क्रम संख्या 118 पर दर्ज मानते हुये नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2021 से 2024 को आधार माना है। सम्वत् 2024-25 की खसरा गिरदावरी में अधिकाशं भूमि चाही अथवा असिंचित काश्त दर्ज है। चम्बल परियोजना से सिचाई किस वर्ष से प्रारम्भ हुई एवं नहर से सिचिंत रकबा 01-01-1966 को कितना था? इन सभी बाबत् सही गणना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में करना नहीं पाया जाता है। इस सम्बन्ध में निम्न न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं-

RRD 1989page127(HC)

Raj.Tenancy (Fixation of Ceiling on Land)(Government)Rules 1963- Rule 12&19-Raj. Tenancy Act 1955, Chapter IIIBS.30C-Raj. Irrigation &Drainage Act 1954, S.5- Calculation of ceiling area-No notification u/s5 or Act,1954 issued-Procedure prescribed for calculating ceiling area, explained- Held ceiling area should have been calclulated as per soil classification mentioned in annual register on appointed date.

RRD 1997 page)501, ,(HC)(DB)

Rajasthan Tenancy Act- Chapter IIIB (Old ceiling Law), Section 30E(1)-The rights of the parties with respect to the ceiling area have to be determined with respect to the notified date 1-4-66 and not with respect to the date of decision of the case-If any land has been acquired by the person or the family after 1-4-66, proceedings can be taken against them under sub section (2) but the land so acquired cannot be included for determination of the ceiling area.

13. जहां तक प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 का प्रश्न है, प्रस्तुत प्रकरण में परिशिष्ट अ में बेचान की गई भूमि का उल्लेख किया गया है जो क्रेताओं की खातेदारी में दर्ज है। क्रेताओं ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं कि उन्होंने खातेदार महेन्द्र सिंह से भूमि दिनांक 1-10-58 को क्रय की है जिसका पटटा उनके पास मौजूद है। क्रेताओं के नाम नामान्तरकरण तस्दीक होकर उनकी खातेदारी में दर्ज हुई है, जिसको किसी भी पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। इसके अलावा घोषणा पत्र में यह नोट अंकित है कि 1958 से पूर्व ही हस्तान्तरण हो चुकी है। उक्त उल्लेखित तथ्यों एवं योग्य

अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा उद्धरित उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

14. परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11-09-2006 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे खातेदार एसेसी महेन्द्र सिंह उनके दोनों पुत्र अपीलार्थीगण तीनों की पृथक पृथक इकाई मानते हुये, भूमि का वर्गीकरण निर्धारित दिनांक 1-4-66 को राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में अंकित किस्म अनुसार भूमि की गणना करते हुए, सीलिग प्रकरण का निस्तारण करें। सीलिंग प्रकरण काफी पुराना है, अतः अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में एक सप्ताह से ज्यादा की तारीख पेशी नियत नहीं करे तथा पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर अधिकतम् छः माह में प्रकरण को निर्णीत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

14. पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे अतिरिक्त कलक्टर (सीलिंग) बून्दी के न्यायालय में दिनांक 28.06.2018 को उपस्थित होकर प्रकरण के शीघ्र निस्तारण में न्यायालय को सहयोग प्रदान करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य